म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/ बी–5/2/ ई-अनुज्ञा/2018-19/ 1020 भोपाल,दिनांक : 26/12/2018

प्रति,

श्री ....,
सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
....(समस्त), मध्यप्रदेश.

विषयः–दिनांक 01.01.2019 से ई–अनुज्ञा की व्यवस्था लागू करने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृषि उपज मंडियों में दिनांक 01.01.2019 से ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू करने के संबंध में प्रदेश की कुछ मंडियों से व्यापारियों एवं मंडी में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों के मन में निम्ननुसार शंका उत्पन्न हो रही है कि :–

1– ई–अनुज्ञा–पत्र जारी करते समय यदि सर्वर डाउन होता है तो ई–अनुज्ञा किस प्रकार से जारी की जा सकती है ?

उक्त के संबंध में सभी व्यापारियों एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यह ज्ञात कराया जाये कि पुराने सर्वर साझा तकनीक पर आधारित होने तथा मंडी बोर्ड के अतिरिक्त कई अन्य विभाग के सॉफ्टवेयर एक ही सर्वर से जुड़े होने के कारण सर्वर डाउन की समस्या रहती थी।

व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों की शंका/समस्या के दृष्टिगत् चार नये सर्वर केवल ई–अनुज्ञा सॉफ्टवेयर के लिए एन.आई.सी. भारत सरकार से लिये गये हैं। ई–अनुज्ञा जारी करने का कार्य इन्हीं सर्वर पर किया जायेगा, जिससे यदि एक सर्वर पर अधिक लोड होता है तो ई–अनुज्ञा सॉफ्टवेयर तुरन्त दूसरे सर्वर पर शिफ्ट हो जायेगा। इस तरह से सर्वर लोड बेलेंस करने में समक्ष होगा एवं नया ई–अनुज्ञा सॉफ्टवेयर तीव्र गति से कार्य करेगा जिससे सर्वर डाउन की समस्या नहीं रहेगी।

साथ ही यदि किसी कारण से सर्वर डाउन होता है तो व्यापारियों को अनुज्ञा–पत्र मंडी समिति के माध्यम से मेनुअली जारी किये जायेंगे।

निरंतर............

2— व्यापारियों के मन में एक शंका यह भी है कि पोर्टल पर खरीदी की एन्ट्री सिर्फ व्यापारियों को ही करनी होगी ?

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपज खरीदी की एन्ट्री, भुगतान पत्रक की एन्ट्री, प्रदेश के बाहर से कय उपज की एन्ट्री प्ररूप—10 एवं अनुज्ञा—पत्र जारी करने संबंधी समस्त एंट्रियॉ व्यापारियों लॉगइन आईडी के साथ—साथ मंडी में तीन स्थानों पर यथा प्रवेश द्वार, मंडी में स्थापित ई—अनुज्ञा शाखा तथा मंडी प्रांगण से बाहर स्थित कार्यालय की लॉगइन आईडी से भी की जा सकती है। साथ ही छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी जिनके पास कम्प्यूटर जैसे उपकरण नहीं होते हैं वह मंडी प्रांगण में उपरोक्तानुसार उपलब्ध तीन स्थानों पर ई—अनुज्ञा संबंधी एन्ट्री करवा सकते हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों की शंकाओं/समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करते हुए प्रदेश की मंडियों में ई—अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू करने की यथोचित कार्यवाही करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

कमांक/ बी—5/2/ई-अनुज्ञा/2018-19/1021 भोपाल,दिनांक : 26/12/2018

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु ।

1— संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त) मध्यप्रदेश।

26/12

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.